

**NAAC**  
National Assessment  
and Accreditation Council



**Loknayak Bapuji Aney Mahila  
Mahavidyalaya, Yavatmal**

NAAC Accredited with Grade B

**Academic Year: 2021-22**

**Criterion 3**

**Research, Innovations and  
Extension**

**3.4.2**



*काशने*

3.4.2 Number of awards and recognitions received for extension activities from government/ government recognized bodies during the year

Name of the activity	Name of the Award/ recognition	Name of the Awarding government/ government recognised bodies	Year of award
Covid Awareness Program	COVID-YODHHA	MAHARASHTRA Government Nurses Association Yavat	2021

१६



काशी





..संस्थापक..  
स्व. श्री. माधव श्रीहरी क्षणे

# लोकनायक बापूजी अणे महिला महाविद्यालय, यवतमाळ

एज्युकेशन सोसायटी, यवतमाळ (रजि.नं. एफ-६) द्वारा संचालित

(संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ संलग्न)

e-mail - aneymmv.yt@rediffmail.com


वरिष्ठ महा. क्र. ४१२  
कनिष्ठ महा. जे०८.०१.००४

नॉक कडून वी श्रेणीने नामांकीत

प्राचार्य डॉ. दुर्गेश कुंटे  
मा.नं. १५०३२१५७७७

पत्र जा. क्र. अमम/ 1094 / २०२२

दिनांक - 04/05/2022



प्रती  
श्री नरेंद्र मोदी,  
प्रधानमंत्री,  
भारत सरकार

विषय :- नारी सशक्तिकरण तथा कन्या के विवाह की आयु मर्यादा सर्वेक्षण

संदर्भ :- केंद्र शासन के नियम के अंतर्गत कन्या के विवाह की आयु मर्यादा 18 से 21 वर्ष निश्चित किए जाने का प्रस्ताव.

माननीय महोदय,

सादर नमस्ते महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थित यवतमाल शहर में एज्युकेशन सोसायटी द्वारा संचालित लोकनायक बापूजी अणे महिला महाविद्यालय इस वर्ष स्वर्ण जयंती मना रहा है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अग्रसर हमारी शैक्षणिक संस्था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय रहने के साथ ही सामाजिक उत्तरदायित्व का भी निर्वाह करती है। केंद्रीय शासन स्वीकृत नियम के अंतर्गत कन्या के विवाह की आयु मर्यादा 18 से 21 निश्चित किए जाने के प्रस्ताव पर हमारे महाविद्यालय की आइक्यूएसी तथा वाणिज्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में स्त्री पुरुष समानता तथा नारी सशक्तिकरण सर्वेक्षण किया गया। जिसमें उपरोक्त प्रस्ताव के संदर्भ में जनमानस को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया इस सर्वेक्षण में उत्तर दाताओं ने कन्याओं के विवाह की आयु मर्यादा 21 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव का समर्थन कर उसके पक्ष में अपने विचार रखे। अतः सर्वेक्षण की प्रस्तुतीकरण का सार यही रहा कि कन्याओं की विवाह की आयु 21 वर्ष होना अपेक्षित है आपके मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित राष्ट्रीय स्तर की नई सामाजिक नीतियों के लिए भारतीय नागरिक के रूप में मैं अनुमोदन करता हूँ तथा भविष्य के लिए शुभकामना प्रेषित करता हूँ धन्यवाद।



डॉ. दुर्गेश कुंटे  
प्रधानाचार्य

लो.बा.अणे महिला महाविद्यालय,  
यवतमाल

16/M/6  
Women  
Sch/W





प्रति,  
श्री दयाशंकर  
सचिव महिला कल्याण  
कमरा नंबर 305 बी विंग,  
शास्त्री भवन नई दिल्ली

विषय:- नारी सशक्तिकरण नियम के अंतर्गत विवाह की आयु मर्यादा सर्वेक्षण  
संदर्भ:- 1) महा.पत्र जा.क्र.-अमम/1094/2022 दि.04/05/2022  
2) PMOPG/D/2022/0109141/दि.17/05/2022

माननीय महोदय,

आपकी सेवा में उपयुक्त विषय के अनुसार सूचित किया जाता है कि, लोकनायक बापूजी अणे महिला महाविद्यालय, यवतमाल 445001(महाराष्ट्र) शैक्षिक संस्था के द्वारा सामाजिक कल्याण के परिप्रेक्ष्य में कन्या विवाह की आयु मर्यादा 18 वर्ष से 21 वर्ष निश्चित किए जाने के संदर्भ में महाविद्यालय छात्रों तथा उनके अभिभावकों का सर्वेक्षणात्मक अहवाल प्रधानमंत्री कार्यालय को जानकारी हेतु प्रस्तुत किया गया था।

परंतु कतिपय कारणों से प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा इस अहवाल को याचिका के रूप में स्वीकृत करने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। जबकि, यह अहवाल याचिका के रूप में प्रस्तुत किया नहीं गया था। वस्तुतः हमारा सर्वेक्षण केंद्र शासन स्वीकृत निर्णय (कन्या विवाह की आयु मर्यादा 18 से 21 वर्ष करने के संदर्भ में) के प्रति सकारात्मक पक्ष रखना यही हमारा प्रमुख उद्देश्य था। साथ ही छात्राओं तथा अभिभावकों ने केंद्र शासन के इस निर्णय का हार्दिक स्वागत किया है। अस्तु, कृपया उपरोक्त सर्वेक्षण को याचिका के रूप में ग्रहण न कर, उसे सामाजिक प्रतिक्रिया के रूप में स्वीकृत एवं क्रियान्वित करने का अनुग्रह करें।

सधन्यवाद।



डॉ. दुर्गेश कुटे

प्रधानाचार्य

लो.बा.अणे महिला महा.

यवतमाल

प्रतिलिपि

जितेंद्र कुमार मंडल

अनुभाग अधिकारी,

सचिव महिला और बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली



Details for registration number : PMOPG/D/2022/0109141

Name Of Complainant Dr. DURGESH KUNTE  
Date of Receipt 07/05/2022  
Received By Ministry/Department Prime Ministers Office

Grievance Description

PG/SHA  
PETITION NOT FULLY SCANNED ACTION MAY BE TAKEN ONLY ON RECEIPT OF HARD COPY OF THE PETITION ALONG WITH ITS ENCLOSURES WHICH IS BEING SENT SHORTLY.

Current Status Under process  
Date of Action 18/05/2022

Officer Concerns To

Officer Name Shri. Daya Shankar (Deputy Secretary)  
Organisation name Women Welfare  
Contact Address Room No. 305,B - Wing, Shastri Bhawan New Delhi  
Email Address daya.shankar@nic.in  
Contact Number 01123385614



*Handwritten signature*

Details for registration number : PMOPG/D/2022/0109141

Name Of Complainant	Dr. DURGESH KUNTE
Date of Receipt	07/05/2022
Received By Ministry/Department	Prime Ministers Office
<b>Grievance Description</b>	
PG/SHA PETITION NOT FULLY SCANNED ACTION MAY BE TAKEN ONLY ON RECEIPT OF HARD COPY OF THE PETITION ALONG WITH ITS ENCLOSURES WHICH IS BEING SENT SHORTLY.	
Current Status	Case closed
Date of Action	13/06/2022
<b>Remarks</b>	
suggestion has been noted.	
<b>Officer Concerns To</b>	
Officer Name	Shri S.R. Meena (Director)
Organisation name	Ministry of Women and Child Development
Contact Address	Ground Floor, Jeevan Tara Building Parliament Street, New Delhi
Email Address	shiv.meena62@nic.in
Contact Number	01123340418
<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="Close"/>	



*Handwritten signature in black ink.*